रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –36 ● अंक –22 ● कानपुर 16 से 30 नवम्बर 2015 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाया जायेगा

- दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो
- **17 वर्षों से लटका है मामला**
- **यही है सबसे आसान तरीका**
- **यदि 21 जून से परहेज तो 18 नवम्बर करो स्वीकार**
- **तभी होगा सबका विकास**
- तन मन से आयोजित करें कार्यक्रम
- **पुरज़ोर ढंग से रखें अपनी बात**

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करवाने के लिये पूरे देश में तरह–तरह के प्रयास किये जा रहे हैं कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा है कोई लोक सभा एवं राज्य सभा में बिल ला कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है परन्तु इतने सारे प्रयासों के बीच अभी तक कोई पूर्ण परिणाम नहीं निकल सका यद्यपि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है परन्तु कुछ संगठन एवं संस्थायें वर्षों से इस प्रयास में लगी हैं कि किसी भी तरह से उनके प्रयास से ऐसा कुछ हो जाये जिससे कि उन्हें भी यह कहने का अवसर प्राप्त हो जाये कि हमारे ही प्रयासों से यह कार्य सम्पादित हुआ है, इसी अवसर प्राप्ति के चक्कर में इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेवियों द्वारा ऐसे कार्य कर दिये जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को नुकसान तो होता ही है साथ में समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने वाले लोगों की छवि भी खराब होती है परिणाम यह होता है कि वर्षों से बनाई हुई छवि कुछ ही पलों में धूमिल हो जाती है यद्यपि ऐसे लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन सबकुछ जानने के बाद भी ऐसे लोग समझने को तैयार ही नहीं है। सत्यतः तो यह है कि आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा करने शिक्षा देने अनुसंधान करने में किसी तरह की कोई रूकावट नहीं है बशर्ते यह सारे कार्य नियमानुसार किये जायें। 21 जून, 2011 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है और यह आदेश इस बात की पूर्ण अनुमति देता है कि देश के किसी भी कोने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य किया जा सकता है।

परन्तु लोग इस आदेश को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ?सत्यतता तो यह है कि इस आदेश को स्वीकार न करने के पीछे सिर्फ एक वजह है, वह है व्यक्तिगत अहं ! इस आदेश को स्वीकार न करने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह यह है कि यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल ऐसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस आदेश की यह है कि इस आदेश को देश के प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश में लागू भी होना है। अब ज़रूरत है कि एक ऐसी प्रबल इच्छा की, जिसके माध्यम से इस आदेश का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य में करवाया जा सके इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने यह कभी नहीं चाहा कि इस आदेश पर उसका वर्चस्य रहे यह सत्य सबको स्वीकार करना होगा जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वही कुछ पायेगा, यह जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था कहीं पर कोई परेशानी नहीं थी पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्यो पैथी का झण्डा बड़ी शान से लहरा रहा था कहीं पर कोई परेशानी नहीं थी लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित कराने का प्रयास तब भी जारी था तरह–तरह के प्रयास किये जा रहे थे कोई न्यायालय के माध्यम से प्रयास कर रहा था तो कोई जन आन्दोलन चला रहा था, कहीं कोई संघर्ष की बात कर रहा था, इन्हीं सबके बीच एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लगायी गयी जिसमें यह चिन्ता जताई गयी कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई कानून न होने के कारण यह मशरुम की तरह फल–फूल रही है न्यायालय द्वारा कोई ऐसी नीति निर्धारित की जाये जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर नियन्त्रण भी लगे और सकारात्मक विकास भी हो। लम्बी सुनवाई के बाद 18 नवम्बर, 1998 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने इस जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए दिल्ली सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश में दिये गये बिन्दुओ के अनुसार कानून बनायें लगभग 17 वर्ष बीत गये परन्तु किसी भी राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं किया गया बल्कि इस आदेश को लागू करने में हीलाहवाली करती रही सुप्रीमकोर्ट ने भी इस आदेश के अनुपालन हेतु सकारात्मक टिप्पणी की है यह

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते डा0 एम0 एच0 इदरीसी –चेयरमैन बायें से डा0 संजय द्विवेदी, डा0 के0 सी0 सिंघल, डा0 पी0 एस0 बाजपेई। दाये से डा0 ओम शंकर मिश्रा, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, डा0 पी0 एन0 कुशवाहा एवं डा0 अयाज अहम आज़मी– छाया गज़ट

देर से ही,मगर सही

कभी भी किसी बड़े और अच्छे कार्य को जिस कार्य के सम्पन्न होने से लाखों लोगों का भविष्य संवर सकता हो ऐसे कार्य के लिए यदि एक विचार धारा कुछ विलम्ब से बनती है तो उस विलम्ब में भी कोई अच्छी बात छिपी होती है जिसे कि हम तत्काल नहीं समझ पाते हैं, हमारा इशारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के सन्दर्भ में है, हम प्रारम्भ से ही यह सत्य सबको बताते रहे हैं कि चिकित्सा शिक्षा व अन्य व्यवस्थायें राज्य का विषय होती हैं अर्थात चिकित्सा से सम्बन्धित विकास के सारे कार्यक्रम तय भले ही केन्द्रीय स्तर पर हों पर उनका क्रियान्वयन और संचालन राज्य से ही सम्भव होता है, प्रारम्भ में जब हमने यह बात उठाई तो हमारे साथियों ने इसे हँसी में उड़ा दिया था और कुछ तो यह कहने लगे थे कि यह लोग अपनी अलग खिचड़ी पकाते हैं लेकिन हम इन सब चीजों से परे होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उस धरातल के सत्य को स्वीकारते हैं जो सत्य होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर कानून का राज है राज्य और केन्द्रीय कानून अलग–अलग हैं दोनों का अनुपालन अलग–अलग ढंग से होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के कानूनों की महत्ति भूमिका है, प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले इस हेतु प्रदेश की लोकप्रिय सरकार जनहित में चिकित्सा से जुड़े निर्णय लेती है यह अलग बात है कि बहुत सारे निर्णय केन्द्र के निर्णयों पर आधारित होते हैं लेकिन चिकित्सा जगत से जुड़े किसी भी काम को करना है तो राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आप शिक्षा कहीं से भी ले लें किसी भी प्रान्त से पा लें केन्द्रीय विश्वविद्यालय से ले लें या राज्य स्तरीय विश्वविधालय से ले लें, इस शिक्षा का महत्व सारे देश में है परन्तु जब इस शिक्षा के आधार पर आप चिकित्सा व्यवसाय करना चाहेंगे तो आपको जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसी राज्य की चिकित्सा परिषद में अपना पंजीयन करवाना होगा। यदि आप आयुर्वेद के स्नातक हैं तो आपको अपने राज्य की आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद में, यदि आप होम्योपैथ हैं तो अपने राज्य की होम्योपैथी चिकित्सा परिषद में पंजीयन कराना होगा तभी आप प्रैक्टिस करने के लिए अधिकारी होंगे यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर भी लागू होती है आपने शिक्षा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली किसी भी प्रान्त से ली हो परन्तु चिकित्सा के लिए तभी अधिकृत होंगे जब उसी राज्य की विधि सम्मत ढंग से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद में पंजीयन होगा।

यह बात हर चिकित्सा पद्धति में लागू होती है हम इस बात को लगातार उठाते रहे हैं लेकिन स्वीकारिता हमारे साथियों में नहीं थी, उनका एक तर्क था कि यह बात सिर्फ़ मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए है अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली है इसलिए इसमें कोई कानून लागू नहीं होता यह तर्क कहां तक उचित है ! इसका निर्णय तो वही ले सकते हैं जो इस तरह के तर्क देते हैं, कानून राज्य में बिना कानून के पालन से कार्य करना गैर कानूनी होगा।

यह सत्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता अभी नहीं हुई है परन्तु अधिकार प्राप्त है और इसी प्राप्त अधिकार के आधार पर कार्य किये जा रहे हैं जब अधिकारपूर्वक कार्य हो रहे हैं तो हमें हर उस नियम और कानून का पालन करना है जो राज्य में प्रचलित है हमारी यह बात धीरे–धीरे लोगों को स्वीकार हो रही है प्रत्येक राज्य से अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य स्तरीय कार्य होने चाहिये तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक कल्याण होगा।

हमारी दृष्टि में सोच का यह बदलाव एक अच्छे संकेत हैं चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लड़ाई अभी बहुत लम्बी है और इसे हम तभी जीत सकते हैं जब हम नियम और कानून का पालन करते हुए कार्य करें, हमें यह पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे सभी साथी एकजुटता के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए समग्र प्रयास करेंगे और भारत सरकार के आदेश 21 जून, 2011 का प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन करायेंगे।

समस्याओं को जन्म तो हम स्वयं ही देते हैं

जब तकजीवन है समस्यायें बनी ही रहती हैं और देर सबेर उन समस्याओं का समाधान हम ही करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा विषय है जहां सब कूछ होते हुये भी समस्यायें खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या स्वतः जन्म ले लेती है। इन समस्याओं के बनने और बिगड़ने से परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास का जो वास्तविक कार्य है उस पर काम नहीं हो पाता है परिणाम स्वरुप इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहां है वहीं पड़ी रहती है समस्यायें यदि कार्य करते हुये पैदा हों तो उनके निदान और निराकरण में कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन जब समस्यायें स्वतः पैदा की जाती हैं तो उन समस्याओं के निराकरण का आसानी से हल ढूँडे नहीं मिलता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसका अपवाद नहीं है यहां पर जितनी भी समस्यायें आती हैं अधिकांशतः स्वतः पैदा की हुई होती हैं, जब हम इनके मूल में जाते हैं कि इन समस्याओं का जन्म क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ है ?तो एक कारण जो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह यह है कि हमारी आपस में समरसता का भाव नहीं है विश्वास की कमी है आस्थायें तो हैं मगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है महत्वाकाक्षायें थमने का नाम नहीं लेती हैं जिसके कारण ऐसे कार्य हो जाते हैं जो नित नई समस्याओं को जन्म दे देते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन समस्याओं की जननी है, वह है अपना अभिमान, जिस दिन अभिमान स्वाभिमान में बदल जायेगा और लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्वाभिमान के लिए काम करने लगेंगे उस दिन समस्यायें कम होने लगेंगी। आज जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लगभग सारे अधिकार प्राप्त हैं चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अनुसंधान के क्षेत्र में, तो फिर हम इन अधिकारों का भरपूर उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इसका एक ही कारण है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाये हैं जो जागरूक हैं उनके अन्दर स्वीकारिता नहीं है।

हर संस्था संचालक या हर चिकित्सक निजी अधिकारों के लिए ज़्यादा चिन्तित है और यही समस्या का कारण है हम यह क्यों भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा है इस विधा को जो भी अधिकार प्राप्त होंगे उसका उपभोग सभी लोग करेंगे जो इससे जुड़े हैं, क्योंकि हर एक के लिए पृथक पृथक आदेश नहीं हो सकते हैं एक छोटी सी बात समझने के लिए यह है जब कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलेगी तो उस मान्यता का सुख हर वह व्यक्ति, चिकित्सक उठायेगा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा होगा। यह बात अलग है कि कौन कितना लाभ उठा पायेगा ?

चूंकि हर लाभ पाने के लिए कुछ निर्धारित मापदण्ड होते हैं जो उन मापदण्डों को पूरा करता है वही अधिकारों का उपभोग कर पाता है। यथा मान्यता के बाद यदि राज्य सरकार ने यह निश्चित कर दिया कि वही व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है जो न्यूनतम दो वर्ष की चिकित्सकीय अर्हता रखता है निश्चित तौर पर जिनके पास दो वर्ष से कम अवधि की अर्हता होगी वह इस लाभ से वंचित रहेंगे। बहुत सम्भव है कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए कुछ रास्ता निकाला जाये हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि कभी भी कोई योग्यता बेकार नहीं जाती बशर्ते उस शिक्षा की अधिकारिता स्पष्ट हो, हम आपको याद दिला दें प्रदेश में जब होम्योपैथी का प्रान्तीयकरण हुआ था तो प्रान्तीयकरण के बाद तत्कालीन प्रचलित डिपलोमा बी0एम0एस0 तत्काल प्रभाव से बन्द हो गया था और बी0एच0एम0एस0 कोर्स प्रारम्भ किया गया था लेकिन बी0एम0 एस0 डिपलोमा धारक छात्रों को व चिकित्सकों को कुछ अवधि के लिए यह अवसर प्रदान किया गया था कि जो व्यक्ति बी0एच0एम0 एस0 या जी0एच0 एम0 एस0 में प्रवेश लेना चाहें वह दो वर्षीय ग्रेडड कोर्स कर डिग्री ले सकते हैं।

बहुत सम्भव है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ भी यही इतिहास दोहराया जाये लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब हम समस्याओं को जन्म देना बन्द करें और एकाग्र मन से सिर्फ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करें। पिछले दिनों लोगों की सोच में जो परिवर्तन आया है वह हमें एक नई रोशनी दे रहा है जो संस्थायें यह दावा करती हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन सिर्फ़ वही कर सकती हैं तो यह दावा निर्मूल है।

21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए है, यह बात अलग है कि इस आदेश को पाने का श्रेय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया को प्राप्त है इस आदेश के आने के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया एक नीति नियामक संस्था की भूमिका में है।

जो संस्थायें इहमाई के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगी उसे कार्य करने का पूर्ण अधिकार है और चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं लेकिन लोग–बाग इस आदेश का गलत अर्थ निकालते हैं और खुद के लिए इसी तरह का आदेश पाने की जुगाड़ में रहते हैं आदेश तो नहीं मिल पाता है बल्कि आदेश पाने के चक्कर में जो कुछ भी किया जाता है उससे एक नई समस्या जन्म ले लेती है। कभी–कभी यह नई जन्मी समस्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लिए एक नई परेशानी पैदा कर देती है पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य के सतारा ज़िले से जिस समस्या ने जन्म लिया व स्वनिर्मित है। यद्यपि इसका समाधान शीर्घ हो जायेगा लेकिन हम यह बात क्यों भूल जाते हैं कि जब हमें अधिकार पूर्वक कार्य करने का अवसर है तो हम अपने ऊटपटांग कार्यों से समस्याओं को क्यों जन्म दे देते हैं ? उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत अधिकार पाने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी लिए समस्या पैदा कर ली है प्राप्त जानकारी के आधार पर उड़ीसा राज्य में भी क्लिनिकल इस्टेबिलिशमेन्ट एक्ट का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है इसका कारण भी हमारे ही साथी हैं।

हम इन सारे उदाहरणों पर गौर करें तो पायेंगे कि हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं हम स्वयं होते हैं और अज्ञानता व अविश्वास इसके मूल में है समस्याओं का एक बड़ा कारण जन सूचना का अधिकार है इस अधिकार का जमकर प्रयोग हो रहा है, लोग ऐसी ऐसी जानकारियां ले रहे हैं जिनसे नई–नई समस्याओं को जन्म हो रहा है अक्सर लोग यह जानकारी लेते हैं कि हमें प्रैक्टिस का अधिकार है या नहीं है ?

यह तो भाग्य है कि अभी तक कोई गलत उत्तर नहीं आ रहा है अन्यथः एक नई समस्या जन्म ले लेती।

राज्य के उत्साही कार्यकर्ताओं को जोड़ा जायेगा

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार सकारात्मक आदेश जारी करने के बावजूद भी प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में वह उत्साह नहीं दिखता है जो होना चाहिये, फलस्वरूप जिस तेजी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास होना चाहिये विकास का वह पहिया प्रदेश में नहीं घूम रहा है प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में अभी भी अपनी अधिकारिता के प्रति जागरूकता नहीं है और चिकित्सक वास्तविकता को समझना भी नहीं चाहते हैं जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन की समस्या भी धीरे धीरे समाधान की ओर है इस आशय की जानकारी पूरे प्रदेश में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की गयी लगभग 54 जनपदों में इस आशय के समाचार हर बड़े समाचार पत्रों ने प्रमुखत से छापा परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों में अभी भी वह जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिये। यह गम्भीर विषय है ! इसपर दूरगामी नीति बनाने हेतु बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति की एक बैठक 31 अक्टूबर को बोर्ड कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें इस विषय पर गम्भीर चर्चा हुई बैठक में अपने विचार रखते हुए डा0 ओम शंकर मिश्र ने सुझाव दिया कि प्रदेश के हर ज़िले से दो युवा चिकित्सकों की एक टीम बनायी जाये और जब पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में इस तरह के चिकित्सक मिल जायें तब इन 150 चिकित्सकों की एक मीटिंग लखनऊ में आयोजित की जाये और इन 150 चिकित्सकों को यह जिम्मेदारी दी जाये कि वह जिस जिले में रहते हैं उस जिले के कम से कम 10 चिकित्सकों को अपने अधिकारों से परिचित कराते हुए उन्हें जागरूक करें तदोपरान्त एक दो माह के बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक राज्य स्तरीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित किया जाये यह सम्मेलन काफी वृहद स्तर का हो और यदि सम्भव हो तो सम्बन्धित विभाग के मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाये। वर्तमान में चूंकि स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित हो सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा इस सुझाव का समर्थन किया गया। इसपर प्रबन्ध समिति के सदस्य डा0 संजय कुमार द्विवेदी ने सुझाव दिया कि अच्छा होता यदि अपने पराये का भेद भूलकर मण्डल स्तर पर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाये कि वह अपने मण्डल के जनपदों से एक एक चिकित्सक का नाम बोर्ड को भेजें जिससे कि योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। बोर्ड के एक अन्य सदस्य डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए आवश्यक है कि कम से कम प्रत्येक जनपद में एक धर्मार्थ चिकित्सालय की स्थापना की जाये। इस प्रस्ताव को भविष्य के लिए स्वीकार कर लिया गया । डा0 पी0 एन0 कुशवाहा ने कहा कि मैं लखनऊ मण्डल के सभी जनपदों में उत्साही कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर रहा हूँ। डा0 अयाज़ अहमद ने कहा कि पूर्वांचल में इलेक्ट्रो होम्योपैथों में बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारी असत्य व झूठी बातें फैलायी जा रही हैं इन्हें रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये। सभी बातों पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन के बाद यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक मण्डल पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति तत्काल कर दी जाये जिससे कार्य को गति मिल सके। मीटिंग की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने की धन्यवाद डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी ने दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ..... प्रथम पेज से आगे

टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 नवम्बर 2000 को की गयी थी कुछ हुआ हो न हुआ हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलनों और 18 नवम्बर ,1998 के आदेश एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया इस समिति ने 25 नवम्बर,2003 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। 25 नवम्बर 2003 का आदेश आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का मुख्य आधार है परन्तु उस समय इस आदेश की गलत व्याख्या होने के कारण पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक नकारात्मक वातावरण पैदा हो गया था समान्य व्यक्ति तो समान्य व्यक्ति है सरकार के उच्च पदो पर बैठे सरकार अधिकारियों द्वारा भी इस आदेश की गलत व्याख्या को स्वीकारा गया और पूरे देश में यही सन्देश फैला दिया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य नहीं किया जा सकता है। यहां पर हम यह बता दें कि 25 नवम्बर 2003 के आदेश के आने एवं उसके पढ़ने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया पहले दिन से ही यह कहने लगी थी कि इस आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर रोक से सम्बन्धित कोई भी निर्देश नहीं है। यद्यपि उस समय देश में संचालित हो रही सबी संस्थाओं द्वारा हमारे इस संकल्प का विरोध किया गया था और मजाक भी उड़ाया गया था। कुछ राज्यों में तो बकायदा इस आदेश के विरूद्धविरोध भी प्रदर्शित किया गया था लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा सरकार से लगातार पत्र व्यवहार कर अपना पक्ष रखा लगभग 7 वर्षो की लगातार मेहनत के बाद सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि 25 नवम्बर 2003 के आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन पर किसी भी तरह का रोक का प्रस्ताव नहीं है। इस स्पष्टीकरण के आने के बाद पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में एक नई जान आ गयी जो वर्षो से गायब थे वह निकल कर बाहर आयें लेकिन इस स्पष्टीकरण के उपरान्त भी कार्य करने की स्थिति नहीं बन सकी जिस किसी भी राज्य में कार्य प्रारम्भ होता तो उस प्रदेश के अधिकारी यह कहकर हस्तक्षेप करने लगते कि यह तो मात्र स्पष्टीकरण है इसमें कही इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इसके द्वारा कार्य करने की छूट प्रदान की जा सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने तब भी धैर्य नहीं खोया और सरकार से निवेदन कि कि इस आदेश को पुनः पढ़ा जाये और पढ़ने के बाद पुर्नविचार किया जाये। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के इस निवेदन पर सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और 21 जून 2011 को एक विस्तृत और अति स्पष्ट आदेश जारी किया जिस आदेश में भारत सरकार द्वारा यह बलपूर्वक कहा गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन में किसी तरह का रोक का प्रस्ताव नहीं है और यह कार्य तब तक किया जा सकता है जब तक कि भारत सरकार के आदेश 25 नवम्बर 2003 के तहत किया जाता रहेगा। इतना ही नहीं इस आदेश में सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी विधा के मान्यता के लिए विधान बनने के बाद नई पद्धति को विनियमित किया जायेगा। अब इतने अच्छे आदेश आने के बाद हम सबको सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता है लेकिन कार्य कैसे किया जाये इस पर भी पैनी निगाह रखनी है प्रत्येक राज्य में कार्य करने के अलग अलग विधान है इसलिए जो जिस राज्य में कार्य करता है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनो का पालन करना होता है अब आप उ0प्र0 का उदाहरण ले लीजिए पूरे भारत में शायद उ0प्र0 इकलौता राज्य है जहां पर चिकित्सा अभ्यास करने के लिए हर चिकित्सक को अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहा पंजीयन कराना होता है जब वह पंजीयन करा लेता है तभी विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकारी होता है इसी तरह से प्रत्येक राज्य के अलग अलग कानून और नियम है उनका पालन हमें करना ही होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है लेकिन उन अधिकारों को हम कैसे कार्य रूप में परिणित करें इसके लिए आवश्यक है कि जो संगठन या संस्था जिस राज्य में सक्रिय है उसे चाहिये कि वह अपने राज्य में 21 जून,2011 के आदेश के क्रियान्वित कराने का पूरा प्रयास करें यह आदेश उत्तर प्रदेश ने क्रियान्वित हो चुका है इसी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप उ0प्र0 सरकार द्वारा 4 जनवरी,2012 को बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी कर पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का रास्ता साफ है यदि इसी तरह के आदेश अन्य राज्यों में भी लाये जाये तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा। लेकिन हमको लगता है कि शायद हमारे साथियों को यह स्वीकार नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के किसी आदेश को लागू करवा जायें यदि उसे यह नहीं स्वीकारते है तो हमें कोई कष्ट नहीं है। एक और रास्ता है जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आसान राह खोजी जा सकती है। वह है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 18 नवम्बर 1998 का जिसे लागू होना अभी भी शेष है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया सभी राज्यों में कार्य कर रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रमुखों से अपील करती है कि इस आदेश को लागू करवाने के लिए तन मन से लग जाये और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें इस हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 18 नवम्बर 2015 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाये अच्छा होता कि यह कार्यक्रम राज्य मुख्यालय में आयोजित किया जाये और राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये जिसके माध्यम से राज्य सरकारों से यह मांग की जाये कि राज्य सरकारें 18 नवम्बर 1998 के इस आदेश को लागू कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विकसित होने दें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा आगामी 18 नवम्बर 2015 को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। जिसमें दिल्ली राज्य सरकार से मांग की जायेगी कि शीघ्र से शीघ्र दिल्ली राज्य में 18 नवम्बर 1998 के निर्देशो का अनुपालन दिल्ली राज्य सरकार द्वारा किया जायें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(अगले अंक में पढ़ना न भूलें)

तुम्हें याद हो.....कि न याद हो.... 30नवम्बर, 1889 को मसीह –उल–हिन्द डा0 एन0 एल0 सिन्हां का जन्म दिन है।

पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों में उत्साह भरने हेतु प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार प्रत्येक मण्डल स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के सुझाव को बोर्ड द्वारा तत्काल स्वीकारा गया और त्वरित गति से निर्णय लेते हुए प्रत्येक मण्डल में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गयी जिस मण्डल में जिस पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी दी गयी है वह निम्नवत है –

आगरा	डा0 तेज स्वरूप सतसंगी
इलाहाबाद	डा0 एम0 ए0 इदरीसी
अलीगढ़	डा0 पी0के0राघव
आजमगढ़	डा0 मुश्ताक अहमद
वाराणसी	डा0 प्रमोद मौर्या
फैज़ाबाद	डा0 वीरेन्द्र वर्मा
मिर्जापुर	डा0 मो0 असलम
सहारनपुर	डा0 सुरेन्द्र सिंह राणा
मुरादाबाद	डा0 सुबोध सक्सेना
बरेली	डा0 बी0 डी0 गुप्ता
लखनऊ	डा0 राकेश शर्मा
गोरखपुर	डा0 एस0के0पाठक
कानपुर	सुरक्षित
गोण्डा	सुरक्षित

विशेष सहयोगी

डा0 डी0के0 पाल	मेरठ मण्डल
डा0 पी0एस0मेहरा	आगरा मण्डल
डा0 अनिल श्रीवास्तव	बस्ती मण्डल
डा0 प्रमोद कटियार	चित्रकूट मण्डल
डा0 टी0 चन्द्रा	झांसी मण्डल
डा0 अम्मार बिन साबिर	बरेली मण्डल

18 नवम्बर 1998 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका सं0 4015/96 में पारित आदेश

The Central/ State Governments shall consider making legislation prescribing.

(a) Grant of licences to the existing and new institutes conducting courses in Electropathy and other Alternative systems of medicine
(b) Minimum standards of education and check on the functioning of such institutes on the lines set out in section 17,18,19 & 19A of the Medical Council Act 1956.
(c) Minimum qualification for getting admission in such institutes.
(d) Conditions entitling these institutes to issue diplomas and certificates, and
(e) Right to use the prefix 'Doctor and to issue medical certificates holders from such institutes.

के अनुपालन हेतु

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का सम्मेलन एवं मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम प्रतिवेदन

आगामी 18 नवम्बर 2015 दिन बुधवार, समय अपरान्ह 1 बजे

प्लाट नं0 169 ज्योति नगर, शिव मन्दिर के पीछे, गली नं0 2 करदमपुरी महाराजा अग्रसेन द्वार के अन्दर दुर्गापुरी चौक, दिल्ली में आयोजित है

सभी चिकित्सक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विनियमित करवाने में अपना योगदान दें।

निवेदक

मिथलेश कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव

प्रमोद शंकर बाजपेई महासचिव

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया

कार्यक्रम संयोजक– डा0 एस0 के0 पाल